पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 196/2024 दिनांक- 22.06.2024

प्रेस विज्ञप्ति

जहानागंज क्षेत्रान्तर्गत बैंक मित्र से लूट करने वाला अपराधी घायल/ गिरफ्तार, लूट के 93,000/- रूपयें, अवैध असलहा व कारतूस व घटना में प्रयुक्त 01 मोटरसाइकिल बरामद।

अब तक 06 अभियुक्त हो चुके है गिरफ्तार, लूट के 02 लाख 10 हजार रुपए बरामद।

पूर्व की घटना-

दिनांक 02.06.2024 को वादी मुकदमा प्रशान्त पाण्डेय उर्फ राकू S/O स्व0 दुर्गा प्रसाद पाण्डेय ग्राम बहवल थाना मेहनगर आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत किया गया कि वादी यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा सिंहपुर में बैंक मित्र है जिसकी चक्रपानपुर बाजार में निधी पुस्तक भण्डार के नाम से दुकान है। वादी अपनी दुकान बन्द करके एकौना - हैदराबाद (सिसवा) रोड से घर जा रहा था कि कब्रिस्तान के पास तीन लड़को ने रोका और असलहा सटाकर मोबाइल, गाड़ी की चाभी व बैग छिन लिये जिसमें करीब 03 लाख रूपये नकद, 02 डिवाइस मशीन, 01 ए.टी.एम. डिवाइस रजिस्टर, ड्रेस और बैंक के कुछ कागजात थे। जिसके सम्बन्ध मे थाना स्थानीय पर मु.अ.सं.- 270/2024 धारा 392 भा0द0वि0 बनाम अज्ञात पंजीकृत कर विवेचना निरीक्षक अपराध सुरेन्द्र कुमार दूबे द्वारा की जा रही है।

➡जिसके क्रम में दिनांक- 13.06.2024 को मुकदमा उपरोक्त विवेचना से प्रकाश में आये 02 अभियुक्तों 1-विशाल यादव पुत्र राजदेव यादव निवासी सिसवां बछवल थाना मेंहनगर आजमगढ़ उम्र करीब 22 वर्ष, 2-आकाश शर्मा उर्फ आर्यन पुत्र प्रहलाद शर्मा निवासी चौबेपुर मटियवना थाना जहानागंज जिला आजमगढ़ उम्र करीब 21 वर्ष को लूट के 75,000/- रूपये के साथ पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है।

➡ दिनांक- 14.06.2024 को मुकदमा उपरोक्त विवेचना से प्रकाश में आये अभियुक्त धनन्जय गिरी उर्फ बाबा पुत्र स्व0 रामकिशुन गिरी निवासी बछवल थाना मेहनगर आजमगढ़ उम्र करीब 26 को सुम्भी मार्केट से गिरफ्तार किया गया तथा 01 बाल अपचारी को लूट के 1500 रूपये के साथ पुलिस अभिरक्षा में लिया गया।

➡ दिनांक- 16.06.2024 को मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त ज्ञान प्रकाश यादव पुत्र नन्द लाल यादव निवासी इनवल थाना मेंहनगर आजमगढ़ को लूट के 25,200/- रूपये के साथ गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण- (पुलिस मुठभेड़)

दिनांक- 22.06.2024 को प्रभारी निरीक्षक जहानागंज कृष्ण कुमार गुप्ता मय हमराह को सूचना मिली कि दिनांक 02/06/2024 को ग्राम इकौना में बैंक मित्र श्री प्रशांत पांडेय से हुई करीब 03 लाख रुपए की लूट में शामिल दो अपराधी ताड़ी मोड़ से धनहुआ की तरफ किसी घटना को अंजाम देने जा रहे हैं कि इस सूचना पर सभी पुलिस कर्मी **ग्राम मसीविर महुआ में सुखी नहर के किनारे रोड** पर ताड़ी से आने वाली वाहनों को चेकिंग प्रारंभ कर दी कि थोड़ी ही देर में ताड़ी की तरफ से एक मोटरसाइकिल पर सवार दो लड़के दिखाई दिए जो चेकिंग कर रहे पुलिसकर्मियों को देखकर अपनी बाइक ग्लैमर को वापस मोड़ने का प्रयास करने लगे कि रोड पर दोनो लड़के बाइक फिसल जाने के कारण गिर गए और दोनो रोड के किनारे सुखी नहर में उतरकर पुलिसवालों पर जान से मारने की नियत से फायरिंग करते हुए भागने लगे कि सभी पुलिसकर्मी सिखलाई तरीके से अपने आप को बचाते हुए आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग की गयी, जिसमे एक अपराधी के दाहिने पैर में एक गोली लगी है, जिसे उपचार हेतु सदर अस्पताल आजमगढ़ भेजा गया है। इसी बीच मौके का फायदा उठाकर दूसरा बदमाश शैलेश यादव नहर पार करते हुए झाड़ियों का लाभ लेते हुए भाग गया।

➡ घायल बदमाश पहचान **साजन तिवारी पुत्र वीरचंद तिवारी ग्राम चकिया भटौली थाना जहानागंज उम्र करीब 20 वर्ष** के रूप में हुई है। जिसे समय **सुबह करीब 08.12 बजे** पुलिस हिरासत में लिया गया ।

➡ मौके से **01 देशी तमन्चा, 01 खोखा कारतूस, 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर, घटना में प्रयुक्त 01 ग्लैमर बाइक व लूट के 93,000/- रूपये** बरामद हुआ है ।

➡ गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 322/24 धारा 307 भादवि0 व 3/25 A.Act पंजीकृत कर अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है ।

➡अबतक उपरोक्त मुकदमे में 06 अभियुक्त की गिरफ्तारी हो चुकी है जिसमे लूट के 02 लाख 10 हजार रूपये एवमं घटना में प्रयुक्त एक बाइक बरामद हो चुकी है।

पूछताछ का विवरण- गिरफ्तार अभियुक्त ने बताया कि थाना कप्तानगंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 93/24 धारा 392 भादवि में दिनांक – 09.04.2024 को समय 17.00 बजे अपने खेत में काम कर रही एक महिला को बुलाकर उसके गले से सोने का चेन छिनकर, बरामद इसी मोटरसाइकिल से घटना कारित कर दोनो अपराधी मौके से भाग गये थे।

पंजीकृत अभियोग-

1- मु0अ0सं0- 322/24 धारा 307 भादवि0 व 3/25 A.Act थाना जहानागंज आजमगढ

गिरफ्तारी अभियुक्त-

1- साजन तिवारी पुत्र वीरचंद तिवारी ग्राम चकिया भटौली थाना जहानागंज उम्र करीब 20 वर्ष **(घायल बदमाश)**

आपराधिक इतिहास-

1-मु.अ.स. 270/24 धारा 395/412/120बी भादवि थाना जहानागंज आजमगढ

2. मु.अ.स. 93/24 धारा 392 भादवि थाना कप्तानगंज आजमगढ

बरामदगी-

1- 01 देशी तमन्चा, 01 खोखा कारतूस, 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर,
2- घटना में प्रयुक्त 01 ग्लैमर बाइक व लूट के 93,000/- रूपये

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1- प्रभारी निरीक्षक जहानागंज कृष्ण कुमार गुप्ता मय हमराह थाना जहानागंज आजमगढ़ ।
2- निरीक्षक अपराध सुरेन्द्र कुमार दूबे मय हमराह थाना जहानागंज आजमगढ़
3- चौकी प्रभारी चक्रपानपुर मुरारी मिश्रा, उ0नि0 मदन गुप्ता, उ0नि0 विसयानन्द पाठक मय हमराह थाना जहानागंज आजमगढ़ ।